न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्या:—05/2019

चुनीराम पुत्र श्री फरसाराम जाति बावरी निवासी 9 एन.डी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
----प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
------अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक—28.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नाम से चक 9 एनडी (ए) तहसील अनूपगढ़ में पत्थर नं.—41/61 का 2530 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा है। जिसका नामान्तरण प्रार्थी के नाम से दिनांक 14.09.1993 को दर्ज हो चुका है। उक्त नामान्तरण संख्या—42 में प्रार्थी का नाम चुनीराम पुत्र फरसाराम लिखा है। जो सही है लेकिन उक्त रकबा की जमाबंदी में पुत्र श्री चुनीराम पुत्र फुसाराम लिखा गया है जो सही नहीं है। प्रार्थी का पिता का सही नाम फरसाराम ही है। प्रार्थी उकत जमाबंदी में दुरूरती करवारकर अपना नाम चुनीराम पुत्र फरसाराम दर्ज करवाना चाहता है तथा उक्त रकबा की जमाबंदी में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि चक 9 एनडी के प.नं.—41/61 मु.नं.—21 के किला नं. —13ता21 का 2.277 हैक्टर, 25 का 0.253 कुल 2.530 हैक्टर रकबा चुनीराम पुत्र फुसाराम कौम बावरी सा. देह रहन एसबीबीजे शाखा नाहरॉवाली खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है उक्त रकबा चुनीराम द्वारा ईतकाल संख्या—42 दिनांक—14.09.03 किस्म बैयनामा पिता का नाम फरसाराम अंकित किया गया हुआ है ईतकाल के बाद नई चौसाला बनते समय सहवन लिपिकीय भूल से चुनीराम के पिता का नाम फरसाराम के स्थान पर फुसाराम दर्ज हो गया होगा। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 9 एनडी (ए) तहसील अनूपगढ़ में पत्थर नं.—41/61 का 2.530 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता के नाम फूसाराम के स्थान पर फरसाराम का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश की पालना रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.30 18:28:41 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Scanned with CamScanner